परामर्श-प्रक्रिया और सम्भूयकारितासंबन्धी नीति

POLICY ON
CONSULTANCIES AND PARTNERSHIPS

Approved by Dean's Council (A Standing Committee of Academic Council) dated 5th August 2022, Item No 12.

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

Central Sanskrit University

संसद के अधिनियम से स्थापित

(Established by an act of Parliament)

56-57 सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

56-67, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi- 110058

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

POLICY GUIDELINES FOR

CONSULTANCY AND PARTNERSHIP

WHEREAS, Central Sanskrit University Act has come into force with effect from 30th April, 2020,

AND WHEREAS the Central Sanskrit Universities Act 2020, as notified in the Gazette of India on March 25, 2020, states the objective of establishing the Central Sanskrit University as follows:

> "5. The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge by providing instructional, research and extension facilities to the promotion of Sanskrit Language and such other branches of learning as it may deem fit...."

And, whereas, the same Act of Parliament empowers the Central Sanskrit University

> "(xii) to co-operate, collaborate or associate with any other University or authority or institution of higher learning, including those located outside the country, in such manner and for such purposes, as the University may determine;"
>
> "(xv) to make provision for research and consultancy or advisory services, and for that purpose, to enter into such arrangements with other Universities, Institutions or bodies, as the University may deem necessary;"

AND WHEREAS, it is expedient to provide an Ordinance for the purpose of providing norms for establishing consultancies and partnerships with other institutions and bodies,

AND WHEREAS, there is no Ordinance in existence,

Now therefore, Central Sanskrit University, New Delhi, in exercise of the powers vested under the Act hereby issues the following guidelines:

1. The guidelines may be called, **"Policy on Consultancies and Partnerships"**.

2. These guidelines shall come into force with effect from date of its approval by the Executive Council.

Definitions:

3. In these guidelines, unless the context otherwise requires:

a) "University" means Central Sanskrit University, Delhi.

b) "Executive Council" means the *Vyavasthapanā Parishad* of the Central Sanskrit University, Delhi.

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

c) "Academic Council" means the *Vidvat Parishad* of the Central Sanskrit University, Delhi.

d) "The Vice Chancellor" means the *Kulapati* of the Central Sanskrit University, Delhi

e) "Registrar" means the *Kulasachiva* of the Central Sanskrit University, Delhi.

4. The Objective

The objective of having the policy on Consultancies and Partnerships is to have a clarity on the formal method of entering into partnerships with other educational, civic and business entities for the purpose of extending the horizon of Sanskrit Language and Learning with mutual cooperation and conjoining of the available material and intellectual resources, in the context of present-day scenarios at the local, national and global levels so that the present day world benefits from the ancient wisdom enshrined in the Sanskrit texts, and to make available the ever-increasing knowledge, experience and expertise to the society at large through the medium of consultancy services, thereby enriching the society as well as the University.

5. The Mission

The Mission is to position the University in such way as to serve as a bridge between the ancient knowledge of India as enshrined in the Ancient Sanskrit text, the astounding remnants of which can still be found available around in the length and breadth of India, and the amazing achievements of the present-day science and technology. India was at the pinnacle of human civilization's achievement in the glorious past, just as the west has been in the recent centuries.

Now, with resurgent India again coming to the fore with renewed energy and confidence after centuries of subjugation and exploitation, it is time for the University to ride the crest of the new found world's interest in all things Indian, and become a medium of taking the human achievements to the highest level on the wings of ancient Indian knowledge systems and modern scientific and technological know-how.

6. The Vision

To achieve the objects of the Mission stated above, the University must delve deep into the ancient *Shastraic* texts through innovative research in partnership with modern, main stream educational and research institutes, which may include engineering, medical, and technical institutes, thereby creating a corpus of knowledge, which should be properly documented and catalogued, so that the people looking for expertise in their respective fields may readily know who among our faculty to reach out to for their needs.

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

POLICY ON CONSULTANCIES AND PARTNERSHIPS

This policy document shall be known as the "Policy on Consultancies and Partnerships" of The Central Sanskrit University, Delhi. This policy shall be adhered to when entering into partnerships and Consultancy arrangement with other educational, technical, business, and social entities to promote and accelerate knowledge generation and dissemination process in a symbiotic environment for the ultimate benefit of the community and general stakeholders. The policy shall also encourage the Departments of the University to develop meaningful consultancies and partnerships.

DEFINITIONS

1.) Consultancy

Consultancy is one of the important means by which staff at the Central Sanskrit University may make available their knowledge and expertise to government, public sector organizations, non-government organizations, corporate entities and community groups.

Such interactions must provide a two-way gateway through which on the one hand, the society, along with its various components, bodies, sections and departments, receives the best and the latest knowledge, experience, technical know-how from the best of the experts in the field, while on the other hand, the University comes to know the efficacy, or otherwise, of its knowledge, expertise etc, at the ground level, where the rubber meets the road, as staff brings back to their teaching, research and other roles the insights, experiences and contacts they have gained as consultants. This can enable them to reorient themselves so as to make their knowledge useful and relevant to the needs of the society.

The consultancy services can also make significant addition to the University revenue, to the University and the expert personnel engaging with the consultancy services.

As such, the University shall encourage its staff to engage in consultancy wherever possible and in a manner that is consistent with their contractual responsibilities.

2) Partnership

The term 'partnership' in this policy envisages the process by which the teaching staff of the University as individuals as well as the departments and the University as a comprehensive entity, enter into meaningful agreement with the government, other academic institutions, public sector organizations, non-governmental organizations, corporate and community groups, for the furthering and expansion of the services of the University and also to make more expertise and exposure available to the students and staff of the University. The partnerships can be on a regular basis, or issue basis. The partnerships also can be at institution level, regional level, state level,

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

national level or international level. Partnerships also can be of collaborative efforts or joint ventures, with or without financial implications. These partnership collaborations also can be an effort to support the student and staff exchange programmes among the partnering institutions.

Policy Guidelines for Consultancy and Partnerships

1. The University shall make due efforts to publicise, through all the means at its disposal, the expertise available in its various departments as well as the achievements and expertise of its teaching staff, so that the University should be on the first call of anybody seeking consultancy in the relevant field.
2. The University should encourage its teaching staff and research students to go for innovative research into the hitherto for untouched fields of ancient Indian knowledge, especially in the fields related to architecture, astrology, medicine, surgery, anatomy, engineering, law, agriculture, aeronautics, governance and fine arts. The faculty should be encouraged to embark upon interdisciplinary research wherein attempts should be made to authenticate ancient knowledge on the basis of modern research tools so that the modern scientific community realizes that claims of ancient Indian knowledge are based on scientifically verifiable principles.
3. The University shall have a dedicated Information Officer / Information Office at the campus level and a Consultancy and Partnership Cell at the University Headquarters level to deal with the queries and other matters relating to consultancy and partnerships.
4. The Information Office / Information Officer at the campus level should be equipped with a broad information about the consultancy expertise available with the university, supported with relevant documents, brochures etc. He/she/It should receive the queries / offers of partnerships and forward them to the headquarters for further action.
5. The Information about Consultancy and Partnerships, along with FAQs should be prominently displayed at the University Website also.
6. The Consultancy and Partnership Cell at the University Headquarters should receive the queries/offers from the Campuses. It may also receive the queries and offers of partnership directly.
7. On the directions of the Vice Chancellor, Consultancy and Partnership Cell at the University Headquarters may approach other educational institutions, civic bodies, business and corporate houses for partnerships.
8. The Consultancy and Partnership Cell at the University Headquarters should be equipped with information about the expertise available at the campuses of the Central Sanskrit University, on the basis of which it should forward the queries to the concerned campus, department, or faculty.
9. On receiving the offer of partnership, the Consultancy and Partnership Cell at the University Headquarters may forward the same to the Vice Chancellor, who may

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

constitute a committee to go through the offer of the partnership and report the merit or otherwise of the offer to the Vice Chancellor.

While considering the proposal for partnership, the Committee should pay attention to the following: -

a) The purpose of undertaking of consultancy services and partnerships programmes should be to utilize and extend the expertise of the staff and students in the University.

b) The undertaking of consultancy services and partnerships should not in any way against the goodwill and established vision and mission statements of the University.

c) The consultancy services and partnerships should not in any way cause financial or legal liability for the University.

d) The consultancy services and partnerships should be made only through the formal signing of the Memorandum of Understanding (MOU) mutually agreed and signed by the parties of the consultancy services and partnerships. The agreement will address the scope of consultancy, deliverables, mutual responsibilities, time schedules and financial terms, communications, resolution of disputes and confidentiality.

e) Every consultancy service and partnership MOUs should be accompanied with the financial implications and detailed project proposal.

10. The Vice Chancellor may, if he deems the offer of partnership to be in the interest of the University as well as in the interest of furtherance of the aims and objectives of the University, send the offer of partnership and the proposed MOU, along with recommendations of the Committee to the Legal cell for vetting and, after vetting, to the Executive Council for approval.

11. The Registrar should be the official signatory and custodian to all these MOUs from the University side.

12. The University can constitute a specific governing council to review the proposals, MOUs and the progress of the consultancy services and partnerships.

13. Periodical reviews are to be made and reports are to be obtained from the responsible persons of the consultancy services and partnerships.

14. In case of anomalies, fraud or any complaints raised or observed in the consultancy services and partnerships, the University can initiate appropriate enquiry and punishment process against the concerned.

15. The University should have an entitlement on the deliverables of the consultancy or partnership engagements.

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

16. The University should specifically lay down the financial procedures and processes appropriate for the consultancy services and partnerships.
17. All the accounts of these consultancy services and partnerships should be audited and utilization certificates are to be documented.
18. After deducting the expenditure and final settlement of the accounts, the revenue generated through these consultancy services and partnerships can be shared between the staff engaged and the University as per the following table:

REVENUE SHARING BETWEEN THE UNIVERSITY AND STAFF INVOLVED

Type	University Share	Staff share
Personal Consultation	20 %	80%
Project Evaluation	40%	60%
Corporate Training	30%	70%

19. The persons concerned with the consultancy services and partnerships should be permitted to engage outsourced expertise or personnel to complete the tasks wherever it is necessary with prior permission of the University authorities.
20. The staff engaging in the consultancy services and partnerships programmes should be given duty leave, if necessary, to fulfil the undertakings without affecting their responsibilities in the University.
21. The staff and other personnel engaging in the partnerships and consultancies are to be eligible for the TA, DA, Honorarium and other personal expenses from the allotted funds of the consultancy services and partnerships.

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश

क्योंकि, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020, 30 अप्रैल, 2020 से लागू हो गया है,

और क्योंकि 25 अप्रैल,2020 को अधिसूचित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य को निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया गया है –

5. विश्वविद्यालय का उद्देश्य होगा कि जैसा विश्वविद्यालय को उचित लगे उस तरीके से संस्कृत भाषा व उसकी अन्य शाखाओं के संवर्धन के लिए शिक्षात्मक, शोध व विस्तार सुविधाएं देते हुए ज्ञान का विसृजन व विकास करना,

तथा क्योंकि संसद का वही अधिनियम केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को अधिकृत करता है कि वह

(12) देश के बाहर स्थित सहित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय, अधिकरण या उच्चशिक्षा संस्थान के साथ, जैसा उचित समझे, वैसा सहयोग, सहकार्य, या संबन्ध,स्थापन कर सकता है...

(15) शोध, परामर्श-प्रक्रिया या अनुमन्त्रणात्मक सेवाओं का प्रावधान कर सकता है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसा उचित समझे वैसे, अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों के साथ मिल कर व्यवस्था कर सकता है...

और क्योंकि, अन्य संस्थानों तथा संगठनों के साथ परामर्श-प्रक्रिया-व्यवस्थाएं तथा संभूयकारिताएं स्थापित करने के नियम उपलब्ध करवाने के लिए एक अध्यादेश जारी करना सुविधाजनक होगा,

और क्योंकि ऐसा कोई अध्यादेश अभी अस्तित्व में नहीं है,

अतः इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है -

1. इन दिशानिर्देशों को परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता संबन्धी नीति कहा जा सकता है।
2. ये दिशानिर्देश व्यवस्थापना परिषद् द्वारा पारित होने की तिथि से लागू होंगे।
3. **परिभाषाएं**
   - क) विश्वविद्यालय से तात्पर्य है – केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली
   - ख) व्यवस्थापना परिषद् से तात्पर्य है - केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली, की व्यवस्थापना परिषद्
   - ग) विद्वत्परिषद् से तात्पर्य है – केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली, की विद्वत्परिषद्
   - घ) कुलपति से तात्पर्य है – केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली, के कुलपति
   - ङ) कुलसचिव से तात्पर्य है – केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली, के कुलसचिव
4. **उद्देश्य**

   परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता पर नीतिगत दिशानिर्देश स्थापित करने का उद्देश्य है –स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर वर्तमान परिदृश्य में आपसी सहयोग व उपलब्ध भौतिक व बौद्धिक संसाधनों का मिलजुल कर उपयोग करते हुए, संस्कृत भाषा व ज्ञान के क्षितिजों का विस्तार करने के लिये अन्य शैक्षिक, नागरिक व व्यापारिक संस्थाओं के साथ परामर्श-प्रक्रिया व सम्भूयकारिता करने के औपचारिक तरीके पर स्पष्टता होना, ताकि वर्तमान विश्व को प्राचीन संस्कृत साहित्य में निहित ज्ञान-विज्ञान का लाभ पहुंच सके तथा परामर्श-प्रक्रिया व सम्भूयकारिता के माध्यम से सतत् वृद्धि को प्राप्त होते ज्ञान, अनुभव तथा विशेषज्ञता को बृहत्तर समाज को उपलब्ध करवाया जाए, जिससे समाज व विश्वविद्यालय, दोनों का कल्याण हो।
5. **अभियान**

   अभियान से तात्पर्य है विश्वविद्यालय को इस प्रकार दिशा देना जिससे विश्वविद्यालय प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में निहित प्राचीन भारतीय ज्ञान (जिसके आश्चर्यचकित करने वाले अवशेष आज भी भारत के कोने-कोने में बिखरे पाए जाते हैं) तथा आज के विज्ञान व तकनीक की अद्भुत उपलब्धियों के मध्य सेतु का कार्य कर सके।

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

भारत प्राचीन जगत् में ज्ञान, विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में वैसे ही शीर्षस्थ स्थान पर विराजमान था, जिस प्रकार आज के विश्व में पश्चिम है।विश्वविद्यालय दोनों ज्ञानों का द्विगुण लाभ आज के विश्व को पहुंचाना चाहता है।

शताब्दियों की परतन्त्रता तथा शोषण के बाद आज पुनर्जाग्रत भारत नई ऊर्जा का स्फुरण तथा आत्मविश्वास लिए आगे बढ़ रहा है और यही समय है कि भारत व प्रत्येक भारतीय विचार में विश्व की बढ़ती उत्सुकता की पवनतरंगों पर सवार होकर, प्राचीन भारतीय ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान के पंखों की शक्ति का उपयोग करते हुए, यह विश्वविद्यालय मानवता की उपलब्धियों को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का माध्यम बने।

6. दृष्टि

उपरोक्त अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को अन्य मुख्यधारा वाले शैक्षिक व शोध संस्थानों (जिनमें अभियान्त्रिकी, भैषज व तकनीकी संस्थान शामिल हों) के साथ सम्भूयकारिता करते हुए प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थों में गहरी पैठ करते हुए मौलिक शोध करना होगा जिससे ऐसा ज्ञान-कोष का निर्माण हो सके जिसका समुचित दस्तावेजीकरण व सूचिबद्धता हो, ताकि क्षेत्र-विशेष में विशेषज्ञता की खोज में जुटे लोग सुविधा से जान सकें कि उन्हें अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए हमारे किन विद्वानों से सम्पर्क करना चाहिए।

परामर्श-प्रक्रिया व सम्भूयकारिता संबन्धी दिशानिर्देश

इस नीति दस्तावेज़ को केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की परामर्श-प्रक्रिया व सम्भूयकारिता के दिशानिर्देश संबन्धी नीति कहा जाएगा।समाज व हितधारकों के लाभ के लिए परस्पर लाभ वाले वातावरण में ज्ञानोत्पादन तथा विसर्जन प्रक्रिया के संवर्धन व गतिदान के लिए अन्य शैक्षिक, तकनीकी, व्यापारिक व सामाजिक संस्थाओं के साथ परामर्श-प्रक्रिया व सम्भूयकारिता करते समय इस नीति का अनुपालन किया जाएगा। यह नीति विश्वविद्यालय के विभागों को भी सार्थक परामर्ष प्रकियाओं व भागीदारियों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

परिभाषाएं

1. **परामर्श-प्रक्रिया-प्रक्रिया**

परामर्श-प्रक्रिया वह महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसके माध्यम से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान अपना ज्ञान व विशेषज्ञता सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यापारिक संस्थानों व सामुदायिक समूहों को उपलब्ध करवा सकते हैं।

ऐसी अन्तःक्रियाएं एक द्विमुख प्रवेशद्वार प्रदान करते हैं जिससे एक ओर अपने घटकों, संगठनों, भागों व विभागों सहित समाज को अपने-अपने क्षेत्रों के सर्वोत्तम विशेषज्ञों का सर्वोत्तम व आधुनिकतम ज्ञान, अनुभव, तकनीकी जानकारी इत्यादि प्राप्त होती है, तथा दूसरी ओर जब परामर्श-प्रक्रियादाता के रूप प्राप्त अन्तर्दृष्टि, अनुभव व सम्पर्क से जानकारी लेकर जब विद्वान पुनः अपने अध्यापन व शोध की ओर लौटते हैं तो विश्वविद्यालय को भी ज़मीनी सतह पर अपने ज्ञान, विशेषज्ञता पर प्रभावी होने या न होने का पता चलता है। इससे विश्वविद्यालय के विद्वान अपना पुनः दिशा निर्धारण ताकि वे अपने ज्ञान को उपयोगी व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार प्रासङ्गिक बना सकें।

परामर्श-प्रक्रिया सेवाओं में संलग्न विशेषज्ञ विद्वानों तथा विश्वविद्यालय के राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है।

अतः विश्वविद्यालय अपने विद्वानों को, उनके अनुबन्धों के अनुरूप, जहां तक संभव हो परामर्श-प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करने में सफल होगा।

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

2. सम्भूयकारिता

सम्भूयकारिता अभिधान का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय की सेवाओं को बढ़ाने व उनका विकास करने तथा और अपने अध्यापकों व विद्यार्थियों को और अधिक विशेषज्ञता व प्राकट्य उपलब्ध करवाने के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक-गण, निजी रूप से, अथवा विभाग, अथवा विश्वविद्यालय एक इकाई के रूप में, सरकार, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, गैर-सरकारी संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों तथा सामुदायिक समूहों के साथ एक सार्थक समझौता कर सकते हैं। यह सम्भूयकारिता नियमित आधार या मुद्दों के आधार पर भी हो सकती है। सम्भूयकारिता संस्थानिक, क्षेत्रीय, राज्यीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है।भागीदारियां धनरहित या धनसहित सहकार्यात्मक प्रयास या संयुक्त उद्यम भी हो सकते हैं। सहकार्य सम्भूयकारिता कर रही संस्थाओं के छात्रों व अध्यापकों के विनिमय कार्यक्रम के रूप में भी हो सकता है।

परामर्श-प्रक्रिया व सम्भूयकारिता संबन्धी नीतिगत दिशानिर्देश

1. विश्वविद्यालय अपने सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए विभिन्न विभागों में उपलब्ध विशेषज्ञताओं और अध्यापकवृन्द की उपलब्धियों तथा विशेषज्ञताओं को विज्ञापित करेगा, जिससे संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता चाहने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम हमारे विश्वविद्यालय से ही सम्पर्क करें।
2. विश्वविद्यालय को अपने विद्वानों व शोध-छात्रों को प्राचीन भारतीय ज्ञान-परम्पराओं, विशेषकर स्थापत्य, ज्योतिषविज्ञान, भैषज, शल्य, शरीर विज्ञान, अभियान्त्रिकी, विधि, कृषि व ललित कलाओं, के अभी तक अछूते क्षेत्रों में मौलिक शोध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए । विद्वानों को अंतर्विषयी शोध के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें प्राचीन ज्ञान को आधुनिक शोध साधनों व मापदण्डों के अनुसार सत्यापित करने का प्रयास हो ताकि आधुनिक वैज्ञानिक समुदाय को भरोसा हो पाए कि प्राचीन ज्ञान के दावे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किये जा सकने वाले सिद्धान्तों पर आधारित हैं।
3. विश्वविद्यालय परिसर-स्तर पर एक समर्पित सूचना अधिकारी व केन्द्रीय स्तर पर एक परामर्श-प्रक्रिया प्रक्रिया व सम्भूयकारिता अधिकारी रखेगा जो पास परामर्श-प्रक्रिया व सम्भूयकारिता सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो।
4. परिसरीय सूचना कार्यालय / सूचना अधिकारी विश्वविद्यालय में उपलब्ध विशिष्ट परामर्श-प्रक्रिया प्रक्रिया संबन्धी जानकारी से सन्नद्ध हो, और उसके पास इससे संबन्धित दस्तावेज़, जानकारी प्रपत्रक इत्यादि उपलब्ध हों। मांगी गई जानकारी के प्रश्न प्राप्त करके वह उन्हें अग्रिम कार्यवाही के लिए मुख्यालय को अग्रसारित करे।
5. परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता से संबन्धित जानकारी तथा पौनःपुण्येन पूछे जाने वाले प्रश्न तथा उनके उत्तर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होने चाहिए।
6. विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता प्रकोष्ठ परिसरीय सूचना कार्यालय से प्राप्त प्रश्न या सम्भूयकारिता-संबन्धी प्रस्ताव स्वीकार करे। प्रकोष्ठ सीधे भी प्रश्न व सम्भूयकारिता प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है।
7. कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित परामर्श-प्रक्रिया प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता प्रकोष्ठ अन्य शैक्षिक संस्थानों, नागरिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं तथा कॉर्पोरेट घरानों से सम्पर्क करके सम्भूयकारिता प्रस्ताव कर सकता है।
8. विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता प्रकोष्ठ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में उपलब्ध विशेषज्ञता की जानकारी से सन्नद्ध रहना चाहिये, जिसके आधार पर वह जानकारी संबन्धी प्रश्न संबन्धित परिसर, विभाग अथवा विशेषज्ञ को अग्रसारित कर सके।

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

9. सम्भूयकारिता प्रस्ताव प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता प्रकोष्ठ उस प्रस्ताव को कुलपति को अग्रसारित करे। प्रस्ताव प्राप्त होने पर कुलपति उस प्रस्ताव का विशद अध्ययन करने के लिए और उसके समीचीन होने या न होने के बारे में सूचित करने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

10. सम्भूयकारिता प्रस्ताव पर विचार करने के समय समिति को निम्नलिखित की ओर ध्यान देना चाहिए। -

क) परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता कार्यक्रमों का उद्देश्य विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की विशेषज्ञता का सदुपयोग व विस्तार होना चाहिए।

ख) परामर्श-प्रक्रिया तथा भागीदारियां विश्वविद्यालय की निर्धारित दृष्टि व अभियान भावना वक्तव्यों व सदिच्छा के विरुद्ध न हो।

ग) परामर्श-प्रक्रिया तथा भागीदारियां विश्वविद्यालय के लिये आर्थिक या कानूनी देनदारियां उत्पन्न करने वाली न हों।

घ) परामर्श-प्रक्रिया तथा भागीदारियां केवल आपसी समझ स्मरणपत्र पर परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता के पक्षों की सहमति व हस्ताक्षरों द्वारा ही हों। स्मरणपत्र में परामर्श-प्रक्रिया का सीमाक्षेत्र, प्रदायों, परस्पर उत्तरदायित्वों, समयसीमाओं, आर्थिक शर्तों, संवाद, विवादों के निपटारे तथा गोपनीयता का स्पष्ट उल्लेख हो।

ङ) परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता संबन्धी परस्पर समझ स्मरणपत्र के साथ आर्थिक प्रभाव संबन्धी पत्र तथा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव भी संलग्न हो।

11. यदि कुलपति को लगे कि सम्भूयकारिता का प्रस्ताव विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के हित में है तो वे समिति की संस्तुतियों के साथ सम्भूयकारिता प्रस्ताव व प्रस्तावित परस्पर समझ स्मरणपत्र के सुधार के लिए विश्वविद्यालय के विधि अनुभाग को तथा सुधार के बाद कार्यकारी परिषद् को प्रेषित कर सकते हैं।
12. विश्वविद्यालय पत्र की ओर से सभी परस्पर समझ स्मरणपत्रों का संरक्षक व अधिकृत हस्ताक्षरी कुलसचिव हो।
13. कुलपति सभी परस्पर समझ स्मरणपत्रों, भागीदारियों व परामर्श-प्रक्रिया सेवाओं की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।
14. परामर्श-प्रक्रिया प्रक्रिया तथा भागीदारियों का उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा समय समय पर पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और उनसे उनके बारे में प्रतिवेदन प्राप्त करने चाहिएं।
15. परामर्श-प्रक्रिया तथा भागीदारियों में परस्पर विरोधी तथ्य, धोखाधड़ी दिखने या इसके संबन्धी शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय जांच प्रारम्भ कर सकता है, और दोषियों के खिलाफ़ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
16. परामर्श-प्रक्रिया या सम्भूयकारिता से प्राप्तत्वों पर विश्वविद्यालय का भी अधिकार होना चाहिए।
17. परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता के लिए समुचित आर्थिक प्रक्रियाएं प्रतिष्ठापित की जानी चाहिएं।
18. परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता के सभी खातों का अंकेक्षण किया जाना चाहिए तथा उपयोग प्रमाणपत्र का दस्तावेज़ीकरण किया जाना चाहिए।
19. परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता से प्राप्त राजस्व में से व्यय को निकाल कर अंतिम निपटारण करने के बाद बची राशि को निम्नलिखित तालिका के कार्यदल व विश्वविद्यालय में बांटा जा सकता है। -

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058

परामर्श-प्रक्रिया का प्रकार	विश्वविद्यालय का संभाग	कार्यदल का संभाग
निजी	20%	80%
परियोजना पड़ताल	40%	60%
कॉर्पोरेट प्रशिक्षण	30%	70%

20. विश्वविद्यालय अधिकारियों की पूर्वानुमति से परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता में संलग्न व्यक्तियों को, जहां भी आवश्यक हो, कार्य सम्पूर्ति के लिए बाह्य स्रोतों से विशेषज्ञता अथवा कार्मिकों के सेवाएं लेने के लिए अधिकृत होना चाहिए।
21. परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता में संलग्न होने वाले विश्वविद्यालय कर्मियों को प्रदत्त कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक ड्यूटी लीव दी जानी चाहिए, यदि उससे उनका विश्वविद्यालयीय कार्य बाधित न होता हो।
22. परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता कार्यों में संलग्न कर्मियों को देय यात्रा-भत्ता, मानदेय तथा अन्य व्यक्तिगत व्यय का भुगतान परामर्श-प्रक्रिया तथा सम्भूयकारिता के आवंटित निधि से किया जाना चाहिए।

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi - 110058